भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
10.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1722 का उत्तर

जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक

1722. श्री दुलू महतो:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (जेडआरयूसीसी), पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर की 05.08.2025 और 27.08.2025 को आयोजित बैठकों में प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमोदित/लंबित प्रस्ताव का प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलंब के मुख्य कारण क्या हैं और ऐसे निर्णय लेने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): रेलवे उपयोगकर्ताओं के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन और उपयोगकर्ताओं के बीच उन मामलों पर परामर्श के अधिक अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से, जो रेल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और ऐसी सेवाओं की दक्षता में सुधार के उपायों से संबंधित हैं, सरकार ने विभिन्न स्तरों पर उपयोगकर्ता परामर्श समितियां स्थापित की हैं, जिनमें क्षेत्रीय स्तर अर्थात क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियाँ शामिल हैं।

क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों में स्थानीय उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है और निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर विचार करती है:-

i. जिस क्षेत्र से समिति संबंधित है, वहां सुविधाओं की व्यवस्था।
ii. समिति के अधिकार क्षेत्र में नए स्टेशन खोलने का प्रस्ताव।
iii. समय-सारिणी से संबंधित व्यवस्थाएं।
iv. रेलवे द्वारा दी जाने वाली यात्री सेवाओं और सुविधाओं में सुधार।
v. सामान्य सार्वजनिक हित अथवा सार्वजनिक सुविधा का कोई विषय या यात्री सेवाओं और सुविधाओं को प्रभावित करने वाले ऐसे मामले जो उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व का विषय रहे हैं।

पूर्व मध्य रेलवे सहित सभी क्षेत्रीय रेलों की क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति को 01.10.2024 से 30.09.2026 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए पुनः गठित किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के जेडआरयूसीसी की पिछली बैठक 28.08.2025 को हुई थी। बैठक के दौरान रेलगाड़ियों के विस्तार, यात्री सुविधाओं का प्रावधान/सुधार, नए स्टेशन खोलने आदि के बारे में कई सुझाव प्राप्त हुए।

ज़ोन के अधिकार क्षेत्र/क्षमता के अंतर्गत सुझावों पर संबंधित ज़ोन खुद कार्रवाई करता है। अन्य क्षेत्रीय रेल से जुड़े सुझावों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित ज़ोन को भेजे जाते हैं। नीति से जुड़े मामले और जिन मामलों पर एपेक्स लेवल पर कार्रवाई की ज़रूरत होती है, उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है। ऐसी बैठकों के दौरान प्राप्त सुझावों की समीक्षा करना और उनकी औचित्य और व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्रवाई करना एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

*****